

## डॉक्टर पहले अपना इलाज तो कर लें!

**गौतम अडानी आदि के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत करना व इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना, अमेरिका की दादागिरी का सबूत है**

-अंजन रॉय-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस (डी.ओ.जे.) द्वारा भारतीय अधिकारी गौतम अडानी पर लाए गए प्रश्नावार व रिक्वेट के अधियोग का महत्व जनता को पूरी तरह समझ नहीं आया है।

पूरे विवर में अधिक व सामरिक मामलों में अपनी ही चलाने की अमेरिका की प्रवृत्ति को यहाँ समझना जरूरी है। यह, अमेरिका के महत्व का उसके प्रधान से अधिक फैलाव है।

अमेरिका के कानून तंत्र ने एक अधियोग के कानून प्रतीकारी को बैठक जारी किया है, जो की भारतीय नागरिक द्वारा भारत में कुछ परियोजनाओं के लिए किए गए कथित अपराध को लेकर है। याद रहें, यह एक ऐसे देश से आया है, जहाँ एक शीर्ष कानून प्रतीकारी को नागरिकों ने एक अधिकारी के नए नियन्त्रण कानून व्यवस्था के लिए ऐसे देश से नैतिकता के उपदेश बारे में अधिवृष्टि आनंद करना पड़ा था, जहाँ जीतने वाली विधिविकलन पार्टी ने, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए दोसोंको जीवन के

- पर, अमेरिका का यह कृत्य आधारहीन नहीं, अमेरिका के कानून की दृष्टि से। अमेरिका के शेयर बाजार से शेयर जारी कर पैसा इकट्ठा करने की एक शर्त है, कि शेयर जारी करने से पहले।
- अडानी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है, क्योंकि, उसने अपनी कम्पनी के बारे में इस तथ्य को छुपाया, यानि उजागर नहीं किया कि अमेरिका के कानून मंत्रालय ने एक "इनकावायरी" खोल रखी है।
- अमेरिका के विधि मंत्रालय के अनुसार, जब तक कोई भी विदेशी कम्पनी अमेरिका के शेयर मार्केट में अपना शेयर नहीं बेचती, तब तक, उसने किस को कितनी रिश्वत दी, उससे अमेरिका के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्बालने वाले विभाग को कोई रुचि नहीं, पर जब उसने अमेरिका के स्टॉफ एक्सचेंज में अपना शेयर बेचकर, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया, तब अमेरिका के "कानून व्यवस्था" के नियम कायदे उस पर लागू हो जाते हैं।
- अडानी युप की यह गलती उन्हें भारी पड़ेगी।
- यह भी सच है, कि, अगर भारत ऐसा ही कानून अपने संसद में पारित कर लेता है, तो क्या, वह उस कानून की, अमेरिका में अवेहनन करने वाले अमेरिकी नागरिक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है?

बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से उनका योग्यता देखने के लिए कितना ही बोहंगा हो जाएगा। और भारत देश के अधिकारी उपर्युक्त विवरों के लिए कितना ही बोहंगा होगा। और भारत देश के अधिकारी उपर्युक्त विवरों के लिए कितना ही बोहंगा होगा।

एक ऐसे देश से नैतिकता के उपदेश क्षेत्र में नहीं है, रिश्वत या कुछ और,

सुनना मुश्किल है। बैंस भी, भारत में जो चाहे वह भारतीयों और भारत देश के अधिकारी के अधिकारी उपर्युक्त विवरों के लिए कितना ही बोहंगा होगा। और भारत देश के अधिकारी उपर्युक्त विवरों के लिए कितना ही बोहंगा होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## उदयपुर : रॉन्ग साइड जा रही कार की ट्रोले से टक्कर में 5 मरे

**पांचों युवक जिस कार में थे, उसे 4-5 दिन पहले ही सैकण्ड हैंड खरीदा गया था**

उदयपुर, 22 नवम्बर (कास)। शहर के सुधोर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को रॉन्ग साइड जा रही एक कार को सामने से तेज गति में आ रहे ट्रोले ने टक्कर कर मार दी, जिससे कार सवार पांच लोगों को मौत ही गई। पुलिस ने सभी ही पोस्टमर्टम कारावारा शब्द परिचयों के सुरुपति ने एक गुरुवार कर दिया। मृतकों में एक हैंड कंट्रोल बल का बेटा भी शामिल है। पांचों मृतक जिस कार में सवार थे, उस सेकंड हैंड कार को चार-पांच दिन पहले ही खरीदा था। पुलिस ने ट्रोले को निवासी रामपुरा चौराहा हाल ढीकती वाडा, हिंस्टर (34) पुरुष भवनलाल खट्टीक निवासी इन्ड्रा कॉलोनी देलवाडा, गोपाल (27) पुरुष गेहूरीलाल नंगराची निवासी नंगराची कॉलोनी फतेहपुरा, पंकज (31) पुरुष दिलीप नंगराची निवासी कुम्हरों का मोहल्ला छोटा जीनरान दुर्युपुरा पुलिस में हैंड कंट्रोल बल का परिजनों को सुचित किया। इधर, पुलिस ने रात्रि को मौके से ही ट्रोले जब तक को गोपाल (27) पुरुष भवनलाल नंगराची निवासी नंगराची कॉलोनी फतेहपुरा, चाचाक को गिरपातर कर लिया। मूरकों के लिए एक गुरुवार कर दिया। पुलिस ने शवों को मौर्चीरी में रखवाकर परिजनों को सुचित किया। इधर, पुलिस ने रात्रि को मौके से ही ट्रोले जब तक को गोपाल (27) पुरुष भवनलाल नंगराची निवासी नंगराची कॉलोनी फतेहपुरा, चाचाक को गिरपातर कर लिया। मूरकों के लिए एक गुरुवार कर दिया। पुलिस ने शवों को मौर्चीरी में रखवाकर परिजनों को सुचित किया। इधर, पुलिस ने रात्रि को मौके से ही ट्रोले जब तक को गोपाल (27) पुरुष भवनलाल नंगराची निवासी नंगराची कॉलोनी फतेहपुरा, पंकज (31) पुरुष दिलीप नंगराची निवासी कुम्हरों का मोहल्ला छोटा जीनरान दुर्युपुरा पुलिस में हैंड कंट्रोल बल का परिजन आए और पुलिस ने सभी को पोस्टमर्टम करवा शव परिजनों के सुरुपति कर दिये।

**सरकारी गवाह बन क्षमादान का कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज**

जयपुर, 22 नवम्बर। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अधिकारी में चल रहे आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने सरकारी गवाह बन कर शकान आलोचना चाहने की मंशा देखी है। निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया है, हालांकि अदालत ने करारा के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

**अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानार द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चौदह ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पूर्व में 67 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश की जारी है। अदालत ने कहा कि कटारा का अन्य आरोपी गारूप गवाह का अन्य के साथ के आधार पर गिरफ्तार किया।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अभिभावकों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सभी के पास वर्चुअल क्लास के लिए तकनीकी व्यवस्था नहीं है

- अभिभावकों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि स्कूल बंद करने के पीछे की यह सोच तर्क संगत नहीं है कि घरों में हवा शुद्ध है।
- अभिभावकों ने कहा कि सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो स्कूलों का समय 9 बजे से रखा जा सकता है। और प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर हो तब दो सप्ताह के लिए स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
- अभिभावकों ने कहा कि आदालत सरकार को निर्देश दे कि स्कूलों में एन-95 मास्क बंटवाए जाएं। यही नहीं, प्रदूषण की स्थिति में जिन बच्चों को अस्थमा (सांस की तकलीफ) है उनके लिए स्कूल बंद किए जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सुझावों पर 2 दिसम्बर को विचार किया जाएगा।

सिस्टम नहीं है, हमें कोर्ट से मदद चाहिए।

जब कोर्ट ने कामकाजी मारा

पिता की समस्या एं प्रैरकर्ता के लिए

सुखाव जाना चाहिए।

यह विचार की समस्या है।

यह विचार की समस्य













